# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 18/2018

**प्रार्थी**

कमलेश कुमार पुत्र केशवलाल जी, जाति– त्रिवेदी ब्राह्मण, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

(1) मूलचंद पुत्र श्री देवाराम, जाति– रावल, अध्यक्ष श्री साचियाव, माताजी (आशापुरी), रावल ब्राह्मण गोत्रीय सेवा समिति, सनवाडा, तहसील–रेवदर, जिला– सिरोही
(2) ग्राम पंचायत, उड़वारिया जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, उड़वारिया, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

**"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"**

**उपस्थितिः**

1. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री अर्जुन रावल, अप्रार्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से

**–: निर्णय :–** दिनांक 05 अप्रेल, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, उड़वारिया द्वारा श्री साच्चियाव माताजी आशापुरी रावल ब्राह्मण गौतम गोत्रीय कुलदेवी के नाम से जारी पट्टा संख्या 132 (जिस पर मिसल संख्या 38 दायर तारीख 06.7.63 अंकित है) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री अुर्जन रावल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 19.3.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवासी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मूलचन्द पुत्र श्री देवारामजी रावल ने अपने आपको वर्ष 2015 में श्री साचियाव माताजी (आशापुरी) ब्राह्मण गौतमी गौत्रीय सेवा समिति, सनवाड़ा का अध्यक्ष होना बताकर प्रार्थी की आराध्य देवी होशियाव माताजी जिनका प्राचीनतम मंदिर ग्रामदानी ग्राम असावा की खसरा संख्या 05 रकबा 06 बीघा आगोर भूमि में आया हुआ है, पर आकर उक्त मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की जाने लगी एवं प्रार्थी तथा उक्त मंदिर के पुजारी दिलीपकुमार को अप्रार्थी संख्या–1 ने बताया कि उक्त मंदिर रावल समाज की सम्पत्ति हैं एवं उक्त सम्पत्ति का पट्टा रावल समाज के नाम का बना हुआ है एवं पुजारी दिलीप कुमार को कहां कि तुम यहां क्या मांगते हो। उक्त मंदिर को छोडकर चले जाओं एवं प्रार्थी को अप्रार्थी संख्याः 2 द्वारा जारी पट्टे की प्रति भी दिखाई। पट्टे की प्रति को देखकर प्रार्थी को बड़ा अफसोस हुआ। उक्त जानकारी प्रार्थी को सर्वप्रथम अप्रार्थी संख्या–1 (एक) द्वारा उक्त पट्टे की प्रति प्रार्थी को बताने पर हुई है। प्रश्नगत पट्टा ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा जारी किया हुआ नहीं हैं एवं न ही प्रस्तुत पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत उड़वारिया में

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है तथाकथित पट्टे से संबधित भूमि ग्राम पचायत सनवाड़ा में हैं ही नहीं और न ही तथाकथित पट्टे में चतुदर्शी अंकित है। उक्त तथाकथित पट्टा संख्या 132 फर्जी एवम् कुटरचित प्रलेख है। उक्त फर्जी पट्टा को असली के रूप में काम में लेकर अप्रार्थी संख्या–1 (एक) ने अपने समाज बंधुओं के साथ मिलकर दिनांक 23.9.2014 को साचियाव माताजी (आशापुरी) रावल ब्राह्मण गौत्रीय सेवा समिति, सनवाड़ा के नाम से एक संस्था भी पंजीकृत करवा ली है एवं अब उक्त फर्जी पट्टा एवं उसके आधार पर तैयार की गई संस्था के आधार पर अप्रार्थी उक्त होशियाव माताजी, असावा की सम्पत्ति को हथियाना चाहता है। प्रार्थी निगरानीकार जो कि ग्राम पंचायत सनवाड़ा का स्थायी निवासी है एवं प्रार्थी व उनके पूर्वज उक्त मंदिर में पिछले 100 वर्षों से पुजा अर्चना करते आ रहे है। उक्त मंदिर प्रार्थी का पारिवारिक मंदिर है। जिससे उक्त तथाकथित पट्टा सख्या 132 को निरस्त करवाये जाने का प्रार्थी निगरानीकार को पूर्ण हक अधिकार होने से प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त तथाकथित पट्टे से संबंधित रेकर्ड की सूचना व प्रमाणित प्रति सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत, उड़वारिया से चाहे जाने पर ग्राम पचायत उडवारिया ने प्रार्थी को पत्र क्रमांक ग्राम पंचायत, उडवारियाः2017–18/32 दिनांक 16.2.20.17 के जरिये सूचना दी कि ग्राम पंचायत, उडवारिया के वर्ष 1963–64 में पट्टा सख्या 132 मिसल संख्या 38 का कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत, उडवारिया में मौजूद नहीं है। उक्त तथाकथित पट्टा सख्या 132 मिसल संख्या 38 का ग्राम पंचायत उड़वारिया द्वारा जारी नहीं किया गया है। उक्त तथाकथित पट्टा जारी किये जाने के संबंध में ग्राम पंचायत, उड़वारिया द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है एवं पट्टे में दर्शाये अनुसार मिसल संख्या 38 ग्राम पंचायत, उड़वारिया द्वारा संधारित नही की गई है एवं न ही ग्राम पंचायत के रेकर्ड में ऐसी कोई मिसल उपलब्ध नही है। प्रश्नगत पट्टा की सम्पति सनवाडा गांव के किस भाग मोहल्ले व कॉलोनी में आई हुई है अंकित नही है और न ही यह बताया गया कि उक्त सम्पति क्या है मकान है या भूखण्ड़ है दुकान है। उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर गाँव सनवाडा के लगती प्रार्थी के पारिवारिक मंदिर की भूमि व मंदिर पर कब्जा कर हथियाने के लिए ही अप्रार्थी संख्या–1 ने अपने समाज के नाम एक संस्था भी गठित कर ली है एवं अब उक्त तथाकथित पट्टे के आधार पर होशियाव माताजी की भूमि पर कब्जा कर समाज की गतिविधियों संचालित करना चाह रहे हैं जबकि उक्त अप्रार्थी संख्या–1 का इस गाँव सनवाडा या असावा से कोई लेना देना ही नहीं है। अप्रार्थी सख्या 01 ने उसके समाज के लोगों से मिलकर ग्राम पंचायत उडवारिया के नाम से प्रिन्टेड फार्म तैयार कर तथाकथित फर्जी पट्टा तैयार करवाया जाना प्रतीत हो रहा है। पट्टा दिनांक 02.1.1964 को तैयार होकर जारी करना बताया है, जबकि तत्कालीन सरपंच श्री नाथुराम के हस्ताक्षर दिनांक 05.12.1965 को किये गये है जो कैसे संभव है। प्रश्नगत पट्टे में दर्शाये अनुसार उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा मनोनित सदस्यों का मौके का निरीक्षण कर जारी करना होना बताया है जबकि उपरोक्त वर्णित पट्टे पर किसी भी मनोनित सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है एवं पट्टे में वर्णित चतुदर्शी च नाप के भूखण्ड पर कभी भी रावल ब्राह्मण समाज का कब्जा नहीं रहा है। उक्त पट्टे में वर्णित भूमि ग्राम पंचायत, उड़वारिया की भूमि नहीं है। उक्त भूमि ग्रामदानी ग्राम, असावा होशियाव माताजी की देवस्थान की आगोर भूमि है एवं उक्त भूमि का ग्राम पंचायत, उड़वारिया को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर साचियाव माताजी आशापुरी रावल ब्राह्मण गौतम गौत्रीय कुलदेवी के नाम से जारी पट्टा संख्या 132 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता श्री रावल ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी निगरानी आवेदन में जो कथन किये

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

है वह गलत व बेबुनियाद है। प्रार्थी उक्त मन्दिर में कोई हैसियत नही रखता है। उक्त मन्दिर रावल ब्राहमण समाज का निजी मन्दिर है एवं रावल समाज ने उक्त मन्दिर को रजिस्ट्रार (संस्थायें), सहकारी समितियां, सिरोही से श्री सच्चियाव माताजी (आशापुरी) रावल ब्राहमण गौतम गोत्रिय सेवा समिति, सनवाडा, तहसील— रेवदर, जिला सिरोही के नाम से पंजीकृत करवाया हुआ है जिसमें पंजीयन क्रमांक 38/सिरोही/2014—15 है तथा उक्त संस्था द्वारा ही मन्दिर की देखरेख व अन्य सामाजिक व धार्मिक आयोजन किये जाते है। पट्टा संख्या 132 नियमानुसार सच्चियाव माताजी आशापुरी रावल ब्राहमण गौतम गौत्रिय कुलदेवी के नाम से दिनाक 5.12.1965 को सरंपच ग्राम पचायत उडवारिया द्वारा अपने हस्ताक्षर कर जारी किया गया है। उक्त पटटे की मिसल सख्या 38 दिनांक 6.7.1963 को नियमानुसार मिसल खोलकर पटटा जारी किया गया है। जिसे जारी करने में समस्त रुप से पूर्ण प्रक्रियाओ को अपना कर पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने के समय उक्त भूमि ग्राम पंचायत, उडवारिया में ही थी बाद में ग्रामदानी ग्राम बनने के पश्चात उक्त भूमि को ग्रामदानी ग्राम असावा में लिया गया है न तो पट्टा फर्जी है तथा न ही प्रार्थी का उक्त मन्दिर मे कोई हक अधिकार है तथा न ही प्रार्थी व, उसके पूर्वज उक्त मन्दिर में पिछले 100 वर्षों से पुजा अर्चना करते आ रहे है, बल्कि संवत् 1017 से गौतम गोत्रिय रावल ब्राहमण समाज मुल निवासी कन्नोज (म०प्र०) से असावा गाव आकर निवास किया और अपनी कुलदेवी सच्चियाव माता (आशापुरी माताजी) के मन्दिर का निर्माण करवाया है ओर तब से ही उक्त मन्दिर रावल समाज गौतम गोत्रिय की सम्पति है। आज से करीब 20—25 वर्ष पूर्व सनवाडा के निवासी जवाहरलालजी को मन्दिर में पूजा हेतु पुजारी नियुक्त किया था, जवाहरलालजी की मृत्यु के पश्चात् उनके भाई दिलीपकुमार को पुजा हेतु रखा था। प्रार्थी व उसका परिवार कश्यप गोत्र के है और कश्यप गोत्र की कुलदेवी वाराही माता है, उक्त मन्दिर पर प्रार्थी द्वारा गलत रुप से हक अधिकार जताकर यह निगरानी आवेदन मनगंढत व गलत कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यह कि पट्टा सन् 1963—64 में बनाया गया है। उस समय उक्त भूमि ग्राम पंचायत, उडवारिया में थी उसके पश्चात् ग्रामदानी ग्राम, असावा में निहित हुई एवं रेकर्ड को दुरुस्त रखने की जवाबदारी ग्राम पंचायत व ग्रामदानी ग्राम की जिम्मेदारी होती है। पट्टे के सम्बन्ध में रेकर्ड उपलब्ध नहीं है तो उस हेतु पट्टा निरस्ती का कोई आधार प्रार्थी को प्राप्त नही होता है तथा न ही कोई पट्टा फर्जी है। उक्त पटटा माताजी के मन्दिर का है, न ही किसी मकान, दुकान या भूखण्ड का है। उक्त मन्दिर पट्टा जारी करते समय गांव के आबादी क्षेत्र से दुर था जिससे कॉलोनी मोहल्ले का नाम अंकित होने का सवाल ही नही है, इसलिये पट्टा किसी भी रुप से कुटरचित प्रलेख नही है। यह कि पटटा दिनांक 02.1.1664 को तैयार नहीं हुआ है, बल्कि 02.1.1964 को तैयार हुआ है। तत्कालीन सरपंच श्री नाथुराम द्वारा पट्टे पर हस्ताक्षर दिनांक 05.12.1965 को क्यों व किन परिस्थिति में किये गये यह या तो स्वयं सरंपच नाथूरामजी बता सकते थे या ग्राम पंचायत का रेकर्ड होने पर ही इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती थी। पट्टा तैयार होने के पश्चात् रावल ब्राहमण समाज की और से पट्टा प्राप्त करने के लिये कार्यालय ग्राम पंचायत में नहीं जाने से व बाद में इस संबंध में पता लगाने पर पट्टा तैयार शुदा होने से तत्कालिन सरंपच द्वारा अपने हस्ताक्षर कर पट्टा रावल समाज को सूपर्द किया होगा और उक्त आधार पर पट्टे को कुटरचित नहीं कहा जा सकता है। यह कि मिसल संख्या 38 दिनांक 06.7.1963 के अनुसार पट्टा सही जारी हुआ है। मिसल को सुरक्षित रखने की जवाबदारी ग्राम पंचायत, उडवारिया की थी। अगर मिसल ग्राम पंचायत में नहीं है तो उक्त आधार पर पट्टा निरस्ती का कोई हक अधिकार प्रार्थी को प्राप्त नही है। मिसल संख्या 38 के द्वारा यदि कोई अन्य पट्टा जारी किया गया हो या पटटा संख्या 132 किसी अन्य के नाम का किसी अन्य सम्पति ... और ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तभी उक्त पट्टे को फर्जी या निरस्त योग्य प्रार्थी बता सकता है। यह कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.1.2018 को एक रिपोर्ट पुलिस थाना, अनादरा में प्रस्तुत की थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 27 दिनांक 5.2.2018 को दर्ज कर अन्तर्गत धारा 465, 467, 474, 420, 120 बी/34 भा.द.स में जांच कर अन्तिम रिपोर्ट (एफ.आर.) संख्या 9 दिनांक 19.6.2018 को एफ.आर. दी गई, जिसमें अप्रार्थी का पट्टा सही व नियमानुसार जारी होना व मन्दिर पर अप्रार्थी का हक अधिकार होना व प्रार्थी के चाचा का पुजारी मात्र होना अनुसंधान में आया है और उसी आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुकदमे में एफ.आर. अदम वकु झूठ मे होना पाया गया है। प्रार्थी द्वारा किये गये मुकदमे में अप्रार्थी का पट्टा सही पाया गया है। तत्कालीन सरंपच श्री नाथुराम के हस्ताक्षर की ताईद उसके पुत्र सुरेशकुमारजी खुत द्वारा की गई है। पट्टे पर कमेटी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर है एवं रावल ब्राहमण समाज का सवंत् 1017 से कब्जा चला आ रहा है जो टेकाराम पुत्र गंगारामजी राव (भाट) के द्वारा अपने पास उपलब्ध रेकर्ड अनुसार पुलिस में बयान दर्ज करवाये है और रावल ब्राह्मण गौतम गोत्र की कुलदेवी होना अपने चौपडे में दर्ज है। प्रार्थी ने बिना किसी हक अधिकार के गलत रुप से रावल समाज के निजी मन्दिर को अपने परिवार की सम्पति बताकर मन्दिर की आय व मन्दिर की कृषि भूमि को हडप करना चाहता है जिसके लिये प्रार्थी ने मनगंढत व गलत कथनों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि रावल समाज की सम्पति है तथा मन्दिर सार्वजनिक है, पट्टे का दुरुपयोग करने का कोई सवाल ही नही है। रावल समाज द्वारा प्रत्येक माह की पूर्णिमा के पूर्व की चौदस (उजाली चौहदस) को मेला (प्रसादी) का आयोजन कर सेवा पुजा व प्रसादी का आयोजन किया जाता है एवं एक धर्मशाला का भी निर्माण कार्य करवाया गया है। रावल समाज के अतिरिक्त किसी अन्य समाज के व्यक्ति द्वारा पुजा अर्चना करने पर कोई रोक नहीं है व न ही धर्मशाला में ठहरने पर कोई पाबन्दी है। मन्दिर की सम्पति से उत्तरोतर विकास कार्य किये जा रहे है। जबकि प्रार्थी की मंशा मन्दिर की सम्पति को हडप करने की रही है। जबकि मन्दिर का विधुत बिल भी सच्चिया माता मन्दिर के नाम से आता है एवं अप्रार्थी द्वारा ही विद्युत बिल की राशि व मन्दिर के अन्य खर्च किये जाते हैं। मन्दिर की कृषि भूमि का नामान्तरकरण भी अप्रार्थी संस्था के नाम दर्ज हो चुका है, जो कि तहसीलदार जी द्वारा पूर्ण रुप से जाचं करने के पश्चात् नामान्तरकण दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, उड़वारिया द्वारा श्री साच्चियाव माताजी आशापुरी रावल ब्राह्मण गौतम गोत्रीय कुलदेवी के नाम से राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के अर्न्तगत पट्टा संख्या 132 (जिस पर मिसल संख्या 38 दायर तारीख 06.7.63 अंकित है) जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौके पर मन्दिर बना हुआ है एवं उक्त मन्दिर उभय पक्ष के कथनानुसार व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्राचीन समय से बना हुआ है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि पट्टे में वर्णित भूमि मन्दिर एवं मन्दिर परिसर आदि के रुप में उपयोग व उपभोग में आ रही है।

प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में यह कथन किया है कि "प्रार्थी निगरानीकार ग्राम पंचायत, सनवाड़ा का स्थायी निवासी है एवं प्रार्थी व उनके पूर्वज उक्त मंदिर में पिछले 100 वर्षों से पुजा अर्चना करते आ रहे है तथा उक्त मंदिर प्रार्थी का पारिवारिक मंदिर है।" लेकिन प्रार्थी निगरानीकार ने अपने इस कथन के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त मंदिर प्रार्थी का पारिवारिक मन्दिर हो। यहां पर उल्लेख करना भी उचित है कि

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

सम्पति के स्वामित्व संबंधी मामलें को तय करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जो अप्रार्थी संख्या–1 (एक) की ओर से प्रस्तुत किये गये है के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार (संस्थायें), सहकारी समितियां, सिरोही द्वारा श्री सच्चियाव माताजी (आशापुरी) रावल ब्राहमण गौतमी गोत्रिय सेवा समिति, सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला सिरोही के नाम से संस्था पंजीकृत है जिसके पंजीयन क्रमांक 38/सिरोही/2014–15 दिनांक 23.9.2014 है।

यह उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत, उड़वारिया द्वारा श्री साच्चियाव माताजी आशापुरी रावल ब्राह्मण गौतम गोत्रीय कुलदेवी के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के अर्न्तगत पट्टा संख्या 132 (जिस पर मिसल संख्या 38 दायर तारीख 06.7.63 अंकित है) जारी किया गया है, जो तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.12.1965 को हस्ताक्षर कर जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि ग्राम पंचायत, उड़वारिया द्वारा मिसल संख्या 38 के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के पक्ष में पट्टा संख्या 132 जारी किया गया हो या पट्टा संख्या 132 किसी अन्य के नाम की सम्पति हो। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानी आवेदन में अंकित कथनों का साबित करने का दायित्व प्रार्थी निगरानीकार का है, लेकिन प्रार्थी निगरानीकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 132 (जिस पर मिसल संख्या 38 दायर दिनांक 06.7.63 अंकित है) वर्ष 1965 में जारी हुआ है, लेकिन इस पट्टे को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी ने पट्टा जारी होने के 52 वर्ष बाद यह निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में प्रार्थी ने कोई ठोस युक्तियुक्त कारण निगरानी आवेदन में अंकित नही किया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

## आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05 अप्रेल, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested